राजस्थान सरकार
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर –302005

क्रमांक : आरएमएससी/2011/284 दिनांक : 09/09/11

समस्त जिला परियोजना समन्वयक (आरएचएसडीपी)
एवं प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार

विषय :– जिला औषधि भण्डार एवं दवा वितरण केन्द्रो के संबंध में नवीनतम दिशा–निर्देश एवं चाहे गये स्पष्टीकरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशों पत्र क्रमांक आरएमएससी/2011/208 दिनांक 25.08.2011, आरएमएससी/2011/270 दिनांक 08.09.2011 एवं निदेशालय के पत्र क्रमांक ए.4(1) लेखा/बजट प्लान/11/2942 दिनांक 08.09.2011 के क्रम में कार्यो के संपादन हेतु निम्न प्रकार आदेशित किया गया था –

1. RMSC के पत्र क्रमांक नं. आरएमएससी/2011/208 दिनांक 25.08.2011 द्वारा जिला औषधि भंडारों में Internet की सुचारू व्यवस्था हेतु वर्तमान में आरएचएसडीपी के Broadband Connection के साथ–साथ वैकल्पिक Internet Connection की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे जिसका व्यय जिला औषधि भंडारों को उपलब्ध करवाई गयी राशि में से किया जावेगा।

2. निदेशालय के पत्र क्रमांक नं. ए.4(1) लेखा/बजट प्लान/11/2942 दिनांक 08.09.2011 द्वारा चिकित्सा संस्थानों पर दवाओं के वितरण हेतु POL के साथ–साथ वाहन को किराये पर लिये जाने का व्यय भी POL हेतु आवंटित बजट रू. 2.00/– लाख में से किया जायेगा।

3. RMSC के पत्र क्रमांक नं. आरएमएससी/2011/270 दिनांक 08.09.2011 के द्वारा जिला औषधि भंडारो पर सैंपल आदि भेजने हेतु कोरियर की व्यवस्था, सामान की पैकिंग एवं चढाने–उतारने आदि हेतु रू. 30,000/– बतौर Imprest Cash का प्रावधान किया गया है।

4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवा वितरण केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु प्रति डीडीसी के हिसाब से रू. 30,000/– का व्यय संस्थान की आरएमआरएस द्वारा वहन किया जाएँ जिसका राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जायेगा।

5. निःशुल्क दवा वितरण की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु सभी चिकित्सा संस्थानों पर दिनांक 15.09.2011 के स्थान पर 23.09.2011 को पूर्वाभ्यास (Rehearsal) किया जायेगा तथा पूर्वाभ्यास के समय आने वाली कठिनाइयों के संबंध में आरएमएससी मुख्यालय को तुरंत सूचित किया जाएगा ताकि समय रहते हुए इन कठिनाइयों का निराकरण संभव हो सके एवं योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

6. जिला औषधि भंडारों के सुदृढीकरण हेतु रू. 10.00/– लाख का बजट तय किया गया था यह पैसा एनआरएचएम की सिविल शाखा के संबंधित X.En. को स्थानांतरित कर दिया गया है। Civil Works के अलावा डीडीडब्ल्यू के सुदृढीकरण, साज–सज्जा और मरम्मत एवं नवीनीकरण आदि का कार्य भी कार्यकारी एजेन्सी X.En./A.En है, संबंधित DPC इस संबंध में अपने डीडीडब्ल्यू पर जिन निर्धारित कार्यों की आवश्यकता है उसे वे संबंधित X.En./A.En को अवगत कराएगें। जिन जिला औषधि भंडारों में Racks, Pallets आदि की अतिरिक्त आवश्यकता है वो जिला औषधि भंडारों के सुदृढीकरण हेतु आंवटित कराए गए बजट रू. 10.00/– लाख में से एनआरएचएम के सिविल विंग के माध्यम से नियमानुसार क्रय कर सकते है। उपरोक्त कार्य दिनांक 20.09.2011 से पूर्व संपूर्ण कर लिया जाये। जिला औषधि भंडारो पर दवाओं का लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य राजकीय अवकाश को भी होगा।

7. पी.एच.सी. इत्यादि पर दवा वितरण केन्द्रों हेतु जो कुल राशि रू. 30,000/– आवंटित की गई है जिसमें से दवा वितरण कांउटर व खिडकी हेतु जो राशि रू. 5500/– दर्शायी गयी थी यदि वह राशि इस प्रयोजन के लिए किन्ही परिस्थितियों में कम रहती है तो, विविध व्यय (Untied Fund) में जो राशि 5000/– दर्शायी गयी है उसे भी दवा वितरण कांउटर व खिडकी में होने वाले व्यय में काम में लिया जा सकेगा अर्थात् दवा वितरण केन्द्रों पर, दवा वितरण कांउटर एवं खिडकी हेतु राशि रू. 10500/– तक खर्चा किया जा सकता है।

इस संबंध में उचित कार्यवाही कर अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को सूचित करें।

प्रबंध निदेशक,आरएमएससी एवं
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग